an>

Title: Need to beef up security in ports of Gujarat.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) ः मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गुजरात की समुद्री सीमा पर छोटे और बड़े मिलाकर 43 बन्दरगाह है जहां पर सभी माल वाहक जहाजों का आना-जाना लगा रहता है। अगर उनकी सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो यह पूर्ण रूप से अपर्याप्त है। इनकी सुरक्षा के लिए मान्य संस्थागत ढांचा नहीं है। छोटे बंदरगाहों के साथ-साथ निजी विकसित किये गये बंदरगाहों में सुरक्षा निजी सुरक्षा गार्डों के हाथों में होती है जिस कारण से सुरक्षा में हमेशा खामियां बनी रहती हैं और बाहर से आने वाले लोग उनको पूरा सम्मान नहीं देते हैं जिसके कारण बंदरगाहों से असामाजिक कार्यकलाप चलते रहते हैं। असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ती रहती हैं। कुछ बंदरगाहों पर राज्य पुलिस भी लगी हुई है जो कि नाकाफी है।

अतः गुजरात के सभी बंदरगाहों पर सुरक्षा हेतु ऐसी नीति बनानी चाहिए जैसी कि सभी एयरपोर्ट्स के लिए निर्धारित की गई है। इसके लिए कम से कम दो चक्रीय सुरक्षा घेरा होना चाहिए। बंदरगाहों पर तैनाती के समय सुरक्षा कर्मियों के आधुनिक हथियारों के साथ-साथ जांच के आधुनिक उपकरण होने चाहिए जिससे गैर कानूनी माल का आवागमन न हो सके। वर्तमान समय के हालात को देखते हुए केन्द्र सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे गुजरात के सभी बंदरगाहों पर पूरी चौकसी हो सके।